

पत्रावली दिनांक 16.11.23 को पेश हो।  
पदरिक्त है।

२  
रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

16.11.22

उभय पक्ष उपस्थित वकीलों अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 9.5.24 को पेश हो।

२  
रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

9.5.24

पत्रावली पेश हुई, अधिष्ठापकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्वयं कर रखने से पत्रावली दिनांक 20.8.24 को पेश हो।

20.8.24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण समय अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार व दफ-दफ का डोकाने पर भी वादीगण व उनके अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं आए। अतः वादीगण का वादपत्र अदम हाजरी व अदम पेशी में खाशीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा